

बनाम

सरकार बनाम सीहन

संख्या 14(4) सी-राजस्व अधिनियम बाबत आवंटन

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप में

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित/प्राथी की ओर से प्रतिकार

सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपुतली) द्वारा रिपोर्ट एवं मौके की

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सूना गया। प्रतिकार

कारण (नायब तहसीलदार, कोटपुतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का

दर्शन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादामुद साबिक आराजी

जबल नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्राथी संख्या 01, सोहन

पुत्र कमल जोरसी निवासी निवासी गोनडा तहसील कोटपुतली को भू-आवंटन

समाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की गयी थी।

न्याय आवंटन द्वारा उसको अलाटमेंट की गयी भूमि को कमी काबिल

हिकर काबल नहीं की। जबकि भू-आवंटन नियमों के अनुसार भू-आवंटन

की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिल काबल की जाना आवश्यक है। आवंटन

नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन के हक में गैर

आवंटन/खातेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम

राजस्व रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त

हो गया। तत्पश्चात् उक्त आराजीयात के मौके पर खाली होने तथा राजस्व

अभिलेख में राजकीय भूमि सिवायक दर्ज होने के कारण दिनांक

01/01/1993 को राजस्थान आर्थिक विकास निगम (सीको) को आवंटित

कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादांत आराजीयात तारीखी

आराजी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी। आज भी उक्त आराजीयात

पर आवंटनी अप्राथी संख्या का कोई कब्जा काबल नहीं है, बल्कि तारीख

आराजी संख्या का ही रिपोर्ट में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट

दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्राथी

के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त

करवाया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्राथी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को

दोहराते हुए प्रतिकार सरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि

आवंटनी को आवंटन के पश्चात् आवंटन की गयी भूमि का कब्जा के पश्चात्

न्याय आवंटन काबिल काबल है। अप्राथी ने कोई अवहेलना नहीं की है।

न्याय आवंटन की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त

दिनांक में चला गया और इसके बाद सन 1980 में यह ग्राम तहसील

कोटपुतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिपोर्ट में नहीं हो

सकता। बल्कि सिवायक ही दर्ज रह गयी और अप्राथी की कृषि की कब्जा

काबल की कृषि भूमि को सिवायक मानकर सीको को बेच दी गयी। अप्राथी

52

2



